दां0प्र0क0– 2120/2022, शासन वि0 सनीपाल

II-157
C-J-

No. . ….....01 ..... for ..... अभियोजन साक्षी …..... ….....… Deposition taken

the ….....02.12.2024... day of …..बुधवार….....Witness's apparent age …....30 वर्ष...

States on affirmation.....may name is..... यूवरेश कुमार .....

Wife of …..... श्री खोरबाहरा राम .....ccupation .....आबकारी अधिकारी .....

address :– ..... सहायक आयुक्त अधिकारी, जिला–जांजगीर चांपा (छ0ग0).....

शपथपूर्वकः—

01– मैं दिनॉक 22.11.2022 को आबकारी वृत्त डोंगरगढ में आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। थाना डोंगरगढ़ के आरक्षक अजय भारद्वाज क्र 0 1622 के द्वारा अपराध क्रमांक 849/22 धारा 34(1)क आबकारी एक्ट में जप्त सीलबंद केरीबैग में 05 नग पाव कॉच की शिशियों भरा 180 एम.एल. क्षमता वाली शीशियों में भरा तरल द्रव कुल मात्रा 0.900 बल्क लीटर प्राप्त हुआ जिसमें देशी मदिरा प्लेन लेबल लगा हुआ था । सील तोड कर जॉच करने पर निम्नानुसार तथ्य पाया गया।

(क) द्रव का रंग देखने पर रंगहीन पारदर्शी का तरल द्रव।
(ख) स्वाद चखने पर देशी मदिरा प्लेन का विषेश स्वाद।
(ग) सुंघने पर देशी मदिरा प्लेन का विषेश गंध।
(घ) नीला लिटमस पेपर का रंग अपरिवर्तित होना पाया गया।
(ड) तीव्रता 50.3 डिग्री यू.पी. होना पाया गया।

उपरोक्त परीक्षण पर सभी गुण एक साथ पाये जाने पर अपने प्रशिक्षण एवं विभागीय अनुभव के आधार परीक्षण किये गए तरल द्रव को देशी मदिरा प्लेन होना पाया गया, जिसे जांच पश्चात् सीलबंद कर वापस किया गया। मेरी जांच रिपोर्ट प्र.पी. 01 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर तथा ब से ब भाग पर सील नमूना अंकित है।

प्रतिपरीक्षण वास्ते आरोपी द्वारा श्री अशोक टेम्भुरकर अधिवक्ता।

02– यह कहना सही है कि मुझे परीक्षण हेतु लाया गया शराब सीलबंद प्राप्त हुआ था इस संबंध में कोई पंचनामा नहीं बनाया है। यह कहना सही है कि जो तरल पदार्थ परीक्षण हेतु मेरे पास भेजा गया था उस पर लगे सील में किसी का हस्ताक्षर नहीं था। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा

परीक्षण हेतु प्रस्तुत तरल पदार्थ को रासायनिक परीक्षण कराये जाने की सलाह नहीं दिया गया था। यह कहना सही है कि जॉच हेतु प्रयोग में लाया गया नीला लिटमस पेपर मैंने अपने प्रतिवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है। यह कहना सही है कि जॉच अपने अनुभव के आधार पर किया है। यह कहना सही है कि मैंने अपना अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। यह कहना सही है कि तहरीर की पावती प्रकरण में संलग्न नहीं है। यह कहना गलत है कि मैंने कोई शराब का परीक्षण नहीं किया है। यह कहना गलत है कि पुलिस कहने पर झूठा जॉच प्रतिवेदन तैयार कर दिया।

साक्षी को पढकर सुनाया गया।
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

गवाह के हस्ताक्षर

सही/–
(शैलेश कुमार वशिष्ट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़ (छ.ग.)

सही/–
(शैलेश कुमार वशिष्ट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़ (छ.ग.)